न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 04/2016

अमीचन्द पुत्र चौधरी जाति चौधरी निवासी हरसरी तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0) —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ ।
2. जागेन्द्रसिंह पुत्र चौधरी जाति चौधरी निवासी 13 एसजेएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर । —रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू रा.अधि.1956
विरूद्ध आदेश आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन
पुनर्वास बीकानेर दिनांक 22.06.1973
उपस्थितिः—

श्री अजय तनेजा , अभिभाषक अपीलांट
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 21.11.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन पुनर्वास बीकानेर के आदेश दिनांक 22.06.1973 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा रेस्पो.सं. 2 को बतौर पोंग बांध विस्थापित चक चक 13 एसजेएम के मु.न. 279/389 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 2 दोनों ही पोंग बांध विस्थापित है, जिनकी भूमि पोंग बांध में अवाप्त हुई थी जिसके बदले में अपीलांट एवं रेस्पो.सं0 2 को राजस्थान में भूमि के आवंटन के पात्र है लेकिन रेस्पो.सं0 2 अकेले को विवादित भूमि का आवंटन कर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया हैं। अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो

21/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो. आपस में भाई है आवंटन अधिकारी द्वारा रेस्पो. को आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया है । अपीलांट द्वारा यह अपील लगभग 43 वर्ष विलम्ब से पेश की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को न हो यह नहीं माना जा सकता । अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी में जो तथ्य अंकित किये है उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 22.06.1973 के विरूद्ध दिनांक 05.11.2015 को लगभग 43 वर्ष विलम्ब से पेश की है । अपीलांट एवं रेस्पो.सं. 2 आपस में भाई है इतने समय तक अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुई यह मानने योग्य नही है। जहां तक अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट व रेस्पो. दोनों की भूमि पोंग बांध में अवाप्त हुई थी एवं उसके बदले में दोनों को ही विवादित भूमि का आवंटन होना चाहिए था यह बिन्दु वरवक्त आवंटन अपीलांट को आवंटन अधिकारी के समक्ष उठाना चाहिए था । अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश को लगभग 43 वर्ष बाद चुनौती दी है जो कि स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जाने योग्य होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर